यूरोपियनों, आंग्ल भारतीयों तथा ईसाईयों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी गई।

(x) मताधिकार :- ऐक्ट द्वारा जहाँ एक ओर प्रत्यक्ष निर्वाचनों का चलन हुआ, वहीं दूसरी ओर मताधिकार का विस्तार किया गया। ऐसा माना जाता है कि अब भारत की 10% जनता को मताधिकार प्राप्त हो गया।

(xi) संक्रमण कालीन स्वरूप :- यह ऐक्ट एक स्थायी व्यवस्था न होकर संक्रमण कालीन व्यवस्था थी। इस ऐक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि भविष्य में किए जाने वाले सुधारों के लिए दस वर्ष बाद फिर एक सविधि कानूनी व्यवस्था द्वारा स्थापित की जाएगी जो मॉण्ट-फोर्ड सुधारों के अधीन की गई उन्नति का अध्ययन कर नवीन सुधारों के बारे में परामर्श देगी। ऐक्ट द्वारा इस धारा में हमें भावी 'साइमन कमीशन' के चिन्ह अन्तर्निहित मिलते हैं।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी. के. कालेज, डुमराँव
दिनांक - 19/08/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

अधिनियम की प्रस्तावना :- अधिनियम की प्रस्तावना में मॉण्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा में किए गए सिद्धान्तों को दोहराया गया। प्रस्तावना की मुख्य बातें थी

(I) ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखण्ड भाग रहेगा।

(II) ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है।

(III) उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही किया जा सकता है।

(IV) उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिकाधिक सम्बन्ध और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन हो।

भारतीय शासन अधिनियम पारित होने के कारण :- (I) साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली से असंतोष (II) मार्ले की घोषणा से असंतोष (III) मुसलमानों की नीति में परिवर्तन (IV) विदेशों में भारतीयों से बुरा व्यवहार (V) प्रथम विश्वयुद्ध और उसके प्रभाव (VI) लखनऊ समझौता (VII) उदारवाद और उग्रवाद का पुनः मिलन (VIII) होम रूल आन्दोलन (IX) मेसोपोटामिया की दुर्घटना (X) माण्टेग्यू की घोषणा इत्यादि।

भारतीय शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ :- (I) **केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना** :- प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय, केन्द्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 (26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत जिसमें 19 सरकारी और 7 गैर सरकारी तथा 34 निर्वाचित, जिसमें 20 साधारण चुनाव क्षेत्रों से, 10 मुस्लिम क्षेत्रों से, 3 यूरोपीय द्वारा और 1 सिक्खों द्वारा) तथा केन्द्रीय विधानसभा (निम्न सदन) के सदस्यों की संख्या 144 नियत की गयी।

(II) **लिखित एवं अचल स्वरूप** :- 1919 के एक्ट द्वारा जो भारतीय विधान प्रस्तावित किया गया था वह मुख्य रूप से लिखित था। उसका आधार ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तावित किया हुआ एक प्रस्ताव था। इस एक्ट की दूसरी विशेषता उसका अचल स्वरूप था। भारतीय एक्ट की कठोरता इसी तत्व में समाहित थी कि कुछ विषयों के अतिरिक्त भारतीय व्यवस्थापिका सभा तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ इसमें किसी प्रकार का वैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकती थी। केवल ब्रिटिश संसद के एक्ट द्वारा ही इस एक्ट का खण्डन किया जा सकता था।

(III) **केन्द्र में अनुत्तरदायी शासन** :- अधिनियम द्वारा केन्द्रीय शासन को पहले की तरह ही केन्द्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त यानी अनुत्तरदायी रखा गया यद्यपि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया और उनके अधिकारों में वृद्धि की गई, लेकिन इसके साथ ही गवर्नर को कुछ ऐसे विशेषाधिकार दिए गए जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका के सहमति के बिना कर सकता था।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

साइमन कमीशन (SIMON COMMISSION)

परिचय (Introduction) :- सन 1919 ई० के भारत सरकार अधिनियम की धारा 84 में यह व्यवस्था की गई थी। अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जायेगी जो यह जाँच करेगी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कहाँ तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में और आगे कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। 10 वर्ष 1929 में पूरे होने थे, अतः 1929 में ऐसे आयोग की नियुक्ति की जानी थी। 1919 का ऐक्ट 1921 में लागू किया गया था इसे 1931 तक भी दी जा सकती थी, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया और भारतीय नेताओं को दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन इस योजना में कोई सार तत्व भारत के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ा। महात्मा गाँधी बहुत उदास हो गये और गाँधीजी ने कहा कि इस सूचना को एक आने के लिफाफे में भी भेज सकते थे। इस प्रकार 08 नवम्बर 1927 में ही भारतीय सुधारों की जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया जिसे साइमन कमीशन कहा गया।

साइमन कमीशन की समय से पूर्व नियुक्ति के कारण (Causes of the appointment of Simon Commission before time) :-

(i) इंगलैण्ड में आम चुनाव :- इस समय इंगलैण्ड में अनुदार दल की सरकार थी, किन्तु 1929 में आम चुनाव होने वाले थे जिनमें मजदूर दल की विजय की पूरी सम्भावना थी। अनुदार दल यह नहीं चाहता था कि भारत के राजनीतिक निर्णय मजदूर दल के हाथ में हो।

(ii) साम्प्रदायिक दंगे :- अनुदार दलीय सरकार भारत में ऐसे जाँच आयोग भेजने के लिए उत्सुक थी, जबकि साम्प्रदायिक दंगे अपने सबसे बुरे रूप में विद्यमान हो जिससे कमीशन भारत के सामाजिक-राजनीतिक जीवन का भयावह चित्र उपस्थित करे।

(iii) राष्ट्रीयता के प्रवाह को रोकना :- साम्राज्यवादियों को उम्मीद थी कि सुधारों के प्रस्तावों पर निश्चित समय से दो साल पहले जाँच शुरू करके राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ने से रोक दिया जायेगा।

(iv) स्वराज दल को दुर्बल करना :- 1922 के बाद भारतीय राजनीति में स्वराज दल का प्रभाव और शक्ति बढ़ गई थी। बंगाल और मध्य प्रान्त के विधानमण्डलों में अपनी असहयोग और अवरोध की नीति के द्वारा उसने विधानमंडलों को प्रायः ठप्प कर दिया और द्वैध शासन की व्यवस्था को बिल्कुल ही चलने नहीं दिया। अतः ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कमीशन का आयोग स्वराज दल को दुर्बल करने के लिए करना चाहते थे और इस दृष्टि से 1927 का वर्ष उपयुक्त था।

(v) कांग्रेस के अन्दर गरम दल :- 1925 के बाद कांग्रेस में गरम दल का उदय हुआ